छत्तीसगढ़ शासन

तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़

राज्य के शासकीय पॉलीटेक्निकों में संचालित त्रिवर्षीय डिप्लोमा एम.ओ.एम., सी.डी.डी.एम., आई.डी.डी. एवं आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों में अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों (बिना पी.पी.टी.- NON P.P.T.) के आधार पर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु नियम एवं प्रवेश प्रक्रिया सत्र

2016-17

तकनीकी शिक्षा संचालनालय
तृतीय खण्ड, तृतीय/चतुर्थ मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष 0771-2221376 फेक्स 0771-2253620
website-www.cgdteraipur.ac.in

महत्वपूर्ण निर्देश

- अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता काउंसिलिंग के समय होती है अतः काउंसिलिंग के पूर्व ही निम्नानुसार दस्तावेजों को सक्षम अधिकारी से बनवाकर रख लें, ताकि काउंसिलिंग के समय असुविधा न हो :-
    1. छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण-पत्र
    2. स्थायी जाति प्रमाण-पत्र (अस्थायी स्वीकार्य नहीं)
    3. दसवीं /बारहवीं की अंकसूची (जन्मतिथि एवं अर्हकारी परीक्षा के प्रमाण हेतु)
    4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) होने का प्रमाण-पत्र (अभिभावक का)
    5. सैनिक (Sainik) होने का प्रमाण-पत्र (अभिभावक का)
    6. निःशक्तता से बाधित (Person with Disability) होने संबंधी प्रमाण-पत्र :-
        (1) संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं
        (2) अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दाना गोदाम मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन जबलपुर फोन नं. 0761-2405581 द्वारा जारी हो।
        (उपरोक्त दोनों अधिकारियों से जारी निःशक्तता से बाधित होने संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड एवं अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन का प्रमाण-पत्र आवश्यक है)
- प्रवेश की कार्यवाही ऑनलाइन काउंसिलिंग द्वारा की जाएगी। काउंसिलिंग कार्यक्रम एवं रिक्त सीटों की अद्यतन जानकारी हेतु संचालनालय तकनीकी शिक्षा की अधिकृत वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in का अवलोकन करते रहें।
- काउंसिलिंग सामान्यतया जून एवं जुलाई माह के आस-पास होती है परंतु इसमें परिवर्तन हो सकता है। कृपया समाचार पत्रों का नियमित अवलोकन करते रहें, **इसके लिये कॉल लेटर/सूचना पत्र नहीं भेजा जायेगा।**

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
::- मंत्रालय -::

अधिसूचना

क्रमांक ...../त.शि./..... दिनांक.....

::छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में संचालित त्रिवर्षीय डिप्लोमा माडर्न ऑफिस मेनेजमेंट, कास्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाइन तथा आर्किटेक्चर के प्रथम वर्ष में सत्र 2016-17 में प्रवेश हेतु निम्नानुसार नियम बनाए जाते हैं :-

1.1 **संक्षिप्त नाम** : ये नियम शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निकों तथा शासकीय कन्या पॉलीटेक्निकों में संचालित एम.ओ.एम., सी.डी. डी.एम., आई.डी.डी. तथा आर्किटेक्चर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर (बिना पी.पी.टी. के) प्रवेश नियम-2016 कहलायेंगे।

1.2 **विस्तार** : ये नियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से अनुमोदित तथा विश्वविद्यालय से संबद्धित एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों के लिये तथा इन पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिये लागू होगें।

1.3 **परिभाषा** : इन नियमों में जहां तक गद्यांश में शब्दों का तात्पर्य अन्यथा न हो-

1. **'प्रवर्ग'** का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति प्रवर्ग (SC- Scheduled Caste), अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग (ST- Scheduled Tribe) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC- Other Backward Class) (क्रीमीलेयर को छोड़कर), जो इन तीनों प्रवर्ग में नहीं आता उसे अनारक्षित प्रवर्ग (UR- Un Reserved) माना जायेगा।
2. **'छत्तीसगढ़'** का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ राज्य जो केन्द्र शासन की अधिसूचना के कारण दिनांक 01.11.2000 को अस्तित्व में आया।
3. **'अ.भा.त.शि.प.'** से तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. **'संचालक'** से तात्पर्य है संचालक, तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर।
5. **'वर्ग'** से तात्पर्य है सैनिक (S), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, (FF), निःशक्तता से बाधित (PWD) वर्ग।
6. **'बिना वर्ग (X)'** से तात्पर्य है जो अभ्यर्थी पूर्ववर्ती तीनों वर्गो में से किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित सीट के विरूद्ध प्रवेश का या तो दावा न करता हो अथवा अर्हता न रखता हो अथवा प्रमाणपत्र अपेक्षित रीति से प्रस्तुत करने में असफल रहे, उसे उसके संबंधित प्रवर्ग के अंतर्गत 'बिना वर्ग (X)' के अभ्यर्थी हेतु सीटों के विरूद्ध ही प्रवेश की पात्रता होगी।
7. **'सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा.)'** से तात्पर्य है जिसको छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कांउसिलिंग कार्य के लिए सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है।

1.4 उपलब्ध सीटें एवं ब्रांच :

Table-1 में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित शासकीय पॉलीटेक्निक एवं शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा पाठयक्रमों में सत्र 2016-17 में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल स्थानों की संख्या दर्शाई गई है। आरक्षण की जानकारी काउंसिलिंग के समय दी जाएगी। संस्था/सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक संस्थाओं की संपूर्ण सीटें केवल महिला उम्मीद्वारों के लिये ही आरक्षित है।

1.4.1 प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा किसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृति दी जाती है या किसी संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में परिवर्तन किया जाता है तो बढ़ी हुई सीटों को रिक्त सीटों की संख्या में जोड़ा जायेगा ।

यदि किसी नयी संस्था के लिए काउंसिलिंग के दौरान ए.आई.सी.टी.ई/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन/संबद्धता प्राप्त होता है तो उसे काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जा सकता है।

1.5 सीटों का आरक्षण :

1.5.1 उर्ध्वाधर (Vertical Reservation)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग प्रवर्गों के लिए-

शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (*क्रीमीलेयर* को छोड़कर) प्रवर्गों के लिए क्रमशः 12, 32 एवं 14 प्रतिशत सीटों पर आरक्षण किया गया है। शेष 42 प्रतिशत सीटें अनारक्षित (UR) रहेंगी। इन अनारक्षित सीटों पर मेरिट के आधार पर किसी भी प्रवर्ग का (SC/ST/OBC/GEN) अभ्यर्थी प्रवेश पा सकता है। यदि किसी SC/ST अथवा OBC प्रवर्ग के छात्र/छात्रा को मेरिट के आधार पर अनारक्षित UR सीट मिलती है तो उसे UR में ही समायोजित किया जायेगा एवं आरक्षित सीट को यथावत रहने दिया जायेगा। आरक्षित सीटों की जानकारी काउंसिलिंग के समय दी जाएगी।

ऐसा अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (*क्रीमीलेयर* को छोड़कर) प्रवर्ग में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों एवं/अथवा निर्देशों में विहित सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षित श्रेणी में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी तथापि मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीट पर प्रवेश की पात्रता रहेगी।

टिप्पणी -(अ) विभिन्न आरक्षित प्रवर्गों में से अभ्यर्थी केवल एक ही प्रवर्ग में आरक्षण का दावा कर सकता है।

(ब) जिस प्रवर्ग में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो, उम्मीद्वार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(स) उम्मीद्वार द्वारा प्रवर्ग तथा वर्ग में आरक्षण हेतु विकल्प प्रस्तुत करने के बाद किसी भी स्थिति में उसे निरस्त या उसमें परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

1.5.2 क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

'सैनिक वर्ग', 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग' एवं *'निःशक्तता से बाधित 'अभ्यर्थियों के लिये*

शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थाओं की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग हेतु आरक्षित सीटों एवं अनारक्षित सीटों के विरूद्ध पुनः 'सैनिक' (S), 'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' (FF) एवं 'निःशक्तता से बाधित' वर्ग (PWD) के उम्मीदवारों के लिए क्रमशः 5, 3 व 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। आरक्षित सीटों की जानकारी काउंसिलिंग के समय दी जाएगी।

1.5.2.(1) सैनिक वर्ग (S)

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी है जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से निःशक्तता से बाधित हो गये हों अथवा जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले अभ्यर्थी को इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप-3 (अ) में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अथवा *ऑफिसर कमांडिंग* द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को प्रारूप-6 में छत्तीसगढ़ का वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।

जो भूतपूर्व सैनिक स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित हो गये हैं उन्हें नियम पुस्तिका के प्रारूप-3(ब) में प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ के बाहर पदस्थ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान होने के कारण प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को प्रारूप-3(स) एवं 6 दोनों प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

प्रवेश की तिथि के पूर्व से छत्तीसगढ़ में पदस्थ प्रतिरक्षा कार्मिक की संतान होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रारूप-3(स) में प्रस्तुत करना होगा।

किसी अभ्यर्थी की सैनिक वर्ग के अंतर्गत पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक सैनिक कल्याण छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

टीप :- 1. होमगार्ड, पुलिस, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्स आदि जो सैनिक की परिभाषा में नहीं आते, सैनिक वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।

2. छत्तीसगढ़ राज्य में पदस्थ/कार्यरत सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कार्मिकों, छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी गतिविधियों के दौरान सेट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के शहीद हो गये कार्मिकों को भी सैनिक वर्ग के समान मानते हुये उनके संतानों को भी इस संबंध में सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सैनिक के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान रहेगा।

1.5.2.(2) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF)

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की उन संतानों एवं पौत्रों/पौत्रियों/नाती/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम 1.6.2 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जिसका नाम छत्तीसगढ़ के किसी जिले के कलेक्टर कार्यालय में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पंजी/सूची में दर्ज है।

अथवा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी है जिनका नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) के कलेक्ट्रेट में रखी गयी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत है, परंतु इस संवर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक, उसकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र/पुत्री को ही दिया जावेगा, जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी का नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में पंजीकृत है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के संबंधित जिले के कलेक्टर से प्रारूप-4 में प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल संबंधित कलेक्टर द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी डिप्टी कलेक्टर से अन्यून स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही अभ्यर्थी का इस वर्ग का होने संबंधी एकमात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

1.5.2.(3) **निःशक्तता से बाधित वर्ग (PWD)**

ऐसे निःशक्त अभ्यर्थी जो नियम 1.6.2 के अनुसार छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होने की शर्त को पूर्ण करते हों उनके लिये शासकीय संस्थाओं की उपलब्ध सीटों में 3 प्रतिशत सीटों का क्षैतिज आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, व अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) में प्रवर्गवार उपलब्ध रहेगा। यदि किसी पाठ्यक्रम में इस क्षैतिज आरक्षण के विरूद्ध निःशक्त अभ्यर्थी के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो इस सीट को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग में परिवर्तित किया जा सकेगा।

टिप्पणी: इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा मंडल द्वारा निःशक्तजन का प्रमाण पत्र एवं अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दाना गोदाम मोटर स्टेन्ड, नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे। दोनों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। इसलिए पहले से दोनों प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी बनवा लें। यदि किसी निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर UR की सीट मिल रही हो तो भी उसे पुर्नवास केन्द्र का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। ताकि यह पता चल सके कि अभ्यर्थी किस ब्रांच में प्रवेश के लिये उपयुक्त है।

1.5.2.(4) **बिना वर्ग** (X)

जो अभ्यर्थी ठीक पूर्ववर्ती तीनों वर्गो में से किसी भी वर्ग के लिए सुरक्षित सीट के विरुद्ध प्रवेश का या तो दावा न करता हो अथवा अर्हता न रखता हो अथवा अपेक्षित प्रमाण-पत्र अपेक्षित रीति में प्रस्तुत करने में असफल रहे उसे उसके संबंधित प्रवर्ग के अंतर्गत 'बिना वर्ग' (X) के अभ्यर्थी हेतु सीटों के विरुद्ध ही प्रवेश की पात्रता होगी।

1.5.2.(5) **महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षण**

शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक संस्थाओं की सीटों में प्रत्येक प्रवर्ग के अंतर्गत महिला अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 30 प्रतिशत सीटों का प्रवर्गवार आरक्षण उपलब्ध रहेगा। राज्य के कन्या पॉलीटेक्निक संस्थाओं की सभी सीटें कन्याओं हेतु आरक्षित हैं। आरक्षित सीटों की जानकारी काउंसिलिंग के समय दी जाएगी।

प्रत्येक संस्था में महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा।

1.5.2.(6) किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

1.5.2(7) काउंसिलिंग के समय विभिन्न उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आबंटन का क्रम निम्नानुसार रहेगा।

1. **उर्ध्वाधर आरक्षण :-** सबसे पहले अनारक्षित सीटों को भरा जायेगा एवं यदि कोई आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी की सीट मिल जाती है तो उसे अनारक्षित की सीट ही दी जायेगी एवं यह सीट आरक्षित श्रेणी से कम नहीं की जायेगी ।

2. **क्षैतिज आरक्षण :-** इस प्रक्रिया में सबसे पहले आरक्षित सीट का आबंटन किया जायेगा। जब तक कि क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरा न हो जाये। तत्पश्चात् बिना वर्ग के अभ्यर्थियों का आबंटन किया जायेगा।

3. **उर्ध्वाधर आरक्षण** के पश्चात् शेष बच गई अनारक्षित सीट के किसी वर्ग विशेष जैसे S, FF, Person With Disability के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग जैसे SC/ST/OBC के उसी वर्ग के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर पहले आबंटित की जा सकती है ।

4. आरक्षित प्रवर्ग की सीटें जो क्षैतिज आरक्षण के कारण S, FF, Person With Disability के लिये आरक्षित हैं यदि इन वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन वर्ग के सीटों को उसी प्रवर्ग के बिना वर्ग के अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर आबंटित किया जायेगा। इसे अन्य आरक्षित श्रेणी के आरक्षित वर्ग के लिये समायोजित नहीं किया जायेगा।

1.5.3 जम्मू एवं कश्मीर राज्य से विस्थापित वर्ग :-

1. जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापितों के पुत्र/पुत्रियों के लिए प्रत्येक शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक संस्थाओं तथा शासकीय कन्या पॉलीटेक्निकों में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त आरक्षित है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को संबंधित जिले के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से निर्धारित प्रारूप-9 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. इसी वर्ग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हों और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप-10 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. किसी संस्था/ब्रांच के लिये एक ही तिथि को एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रथमतः छत्तीसगढ़ में विस्थापित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी। तत्पश्चात् अन्य राज्य में विस्थापित को सीट रिक्त रहने पर प्रवेश दिया जा सकेगा, परंतु अलग-अलग तिथि होने पर जो **पहले आओ पहले पाओ** के आधार पर सीट आबंटित किया जायेगा।

1.6 प्रवेश हेतु पात्रता :

1.6.1 शैक्षणिक अर्हता :-

(अ) एम.ओ.एम. त्रिवर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश के लिए

माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ के (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं परीक्षा या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष परीक्षा किसी भी विषय समूह में सभी वर्ग के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। SC,ST,OBC एवं निःशक्तता से बाधित के लिए केवल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ब) सी.डी.डी.एम /आई.डी.डी. त्रिवर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश के लिए

माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ के (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 10वीं परीक्षा या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष परीक्षा सभी वर्ग के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। SC,ST,OBC एवं निःशक्तता से बाधित के लिए केवल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(स) आर्किटेक्चर त्रिवर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश के लिए

माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ के (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं परीक्षा या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से समकक्ष परीक्षा भौतिक, रसायन तथा गणित विषय समूह में सभी वर्ग के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। भौतिक, रसायन एवं गणित विषय में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। SC,ST,OBC एवं निःशक्तता से बाधित के लिए केवल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

टीप : (1) यदि प्रतिशत पूर्णांक में न हो तो 34.5 या उससे उपर को 35 प्रतिशत मान्य किया जायेगा। ग्रेस अंक से उत्तीर्ण मान्य होगा परंतु ग्रेस के अंक नहीं जोड़े जाएंगे।

1.6.2 स्थानीय निवासी संबंधी आवश्यकताएं

छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा स्थापित पॉलीटेक्निक संस्थाओं की सीटों पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को (जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़कर) प्रवेश हेतु चयन के लिए प्राथमिकता दी जायेगी।

छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी, छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये निर्देशों के अंतर्गत यथा परिभाषित होगा। नीचे अन्यथा वर्णित को छोड़ सभी अभ्यर्थियों को तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार अथवा वरिष्ठतर अन्य सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा समय-समय पर राज्य शासन के निर्देशों के तहत जारी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण पत्र (प्रारूप-5) आवेदन के साथ जमा करना होगा। इस प्रमाण पत्र में प्रकरण

क्रमांक, जारी करने की तिथि व न्यायालय/कार्यालय की सील, जारीकर्ता अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्धशासकीय निकायों तथा छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकायों के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिकों के राज्य में या राज्य के बाहर पदस्थ होने पर तथा प्रारूप-6 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी।

भारत सरकार के कार्मिकों, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कार्मिकों एवं केन्द्रीय अर्धशासकीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों के छत्तीसगढ़ राज्य में इन नियमों के तहत आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि के पूर्व पदस्थ होने पर तथा प्रारूप-7 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनकी संतानों को भी छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी मान कर प्रवेश की पात्रता होगी।

भारत शासन/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित पिता/माता के सन्तान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी माने जायेंगे। ऐसे पुनर्व्यवस्थापित पिता/माता की सन्तानों को प्रारूप-8 में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अभिभावक की परिभाषा :

अभिभावकों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) की राय में आवेदक के पिता और माता दोनों की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी के पिता जीवित न हो परंतु माता जीवित हों तो माता को ही अभ्यर्थी का स्वभाविक अभिभावक माना जाएगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

दत्तक संतान के विषय में स्पष्टीकरण :

दत्तक संतानों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में दत्तक संतान के आधार पर प्रवेश चाहे तो उसे दत्तक संतान होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि के कम से कम पांच वर्ष पूर्व निष्पादित वैध दत्तकनामा (Adoption deed) होगा, दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जाएगा जब तक उसकी संपुष्टि विद्यालय/महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक अथवा गत पांच वर्षो में आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिये उपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता/माता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किन्ही अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होंगे।

1.6.3 आयु सीमा :-

समस्त डिप्लोमा पाठयक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिये उम्मीदवार की आयु दिनांक **1 जुलाई 2016 को 30 वर्ष** से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), महिला तथा निःशक्तता से बाधित अभ्यर्थियों को आयु में 03 वर्ष की छूट की पात्रता होगी।

आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेशी सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों पर लागू नहीं होगा।

1.7 प्रवेश हेतु चयन पद्धति :

1.7.1 इस नियम के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। अतः कोई प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा एवं प्रवेश अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर होंगे।

1.7.2 मेरिट का निर्धारण

(अ) माडर्न ऑफिस मेनेजमेंट (MOM) में प्रवेश के लिए :-

अभ्यर्थियों के अर्हकारी परीक्षा 12वीं के समस्त विषयों के केवल सैद्धांतिक विषयों के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर (प्रायोगिक प्राप्तांक को सम्मिलित नहीं किया जायेगा) संयुक्त मेरिट सूची बनायी जायेगी। इसी प्रकार प्रवर्गवार योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेंगी एवं प्रत्येक प्रवर्ग में सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निःशक्तजन एवं महिला वर्ग की मेरिट सूचियां तैयार की जावेंगी।

समान प्राप्तांक प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राविण्यता - समान प्रतिशत प्राप्त अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम का निर्धारण करने के लिए उनके द्वारा प्रथम अर्हकारी परीक्षा में कुल प्राप्तांकों (सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक को मिलाकर) का प्रतिशत, द्वितीय अधिक उम्र के अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी ।

आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यता क्रम सूची में स्थान प्राप्त करेंगे उनकी गणना अनारक्षित प्रवर्ग में की जावेगी ।

(ब) कास्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग (CDDM)/इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइन (IDD) में प्रवेश के लिए :-

अभ्यर्थियों के 10वीं कक्षा या अन्य समकक्ष परीक्षा के कुल प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर संयुक्त मेरिट सूची बनायी जायेगी। इसी प्रकार प्रवर्गवार योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेंगी एवं प्रत्येक प्रवर्ग में सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निःशक्तजन एवं महिला वर्ग की मेरिट सूचियां तैयार की जावेंगी।

समान प्राप्तांक प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राविण्यता-समान प्रतिशत होने की स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

(स) आर्किटेक्चर (Architecture) में प्रवेश के लिये :-

अभ्यर्थियों के 12वीं कक्षा या अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा गणित विषयों के संयुक्त प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर संयुक्त मेरिट सूची बनायी जायेगी। इसी प्रकार प्रवर्गवार योग्यता क्रम सूचियां तैयार की जावेंगी एवं प्रत्येक प्रवर्ग में सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निःशक्तजन एवं महिला वर्ग की मेरिट सूचियां तैयार की जावेंगी।

समान प्राप्तांक प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राविण्यता - समान प्रतिशत प्राप्त अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम का निर्धारण निम्नानुसार क्रम में उनके प्राविण्यता के आधार पर किया जायेगा -

प्रथम- गणित, द्वितीय-भौतिक शास्त्र, तृतीय- कुल प्राप्तांक एवं चतुर्थ- अधिक उम्र के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी ।

1.7.3 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित पॉलीटेक्निक के लिए विशेष प्रावधान :-

जगदलपुर, स्थित शासकीय पालीटेक्निक में प्रवेश हेतु संबंधित उसी जिले/संभाग के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस हेतु-

1. पहले संबंधित जिलों के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के आधार पर संस्था स्तर पर प्रवेश दिया जाएगा।
2. तत्पश्चात् सीट रिक्त रहने पर संबंधित संभाग के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर संस्था स्तर पर प्रवेश दिया जायेगा।
3. तत्पश्चात् सीट रिक्त रहने पर अन्य जिलों के अभ्यर्थियों से अर्हकारी परीक्षा के आधार पर केंद्रीय ऑनलाइन काउंसिलिंग द्वारा सीट भरी जायेगी।

1.8 प्रवेश प्रक्रिया (Admission Procedure)

1.8.1 डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के 10वीं/12वीं के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश के लिये संस्था आबंटन हेतु कार्य काउंसिलिंग समिति द्वारा ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा। काउंसिलिंग समिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित की जाएगी।

काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने के लिए काउंसिलिंग की तिथियां छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। अतः 10वीं/12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी हेतु अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाचार पत्रों के अंक प्रतिदिन आवश्यक रूप से देखते रहें। काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी प्रदेश के सभी शासकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों से भी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही यह जानकारी तकनीकी शिक्षा संचालनालय की अधिकृत वेबसाइट www.cgdteraipur.ac.in में भी देखी जा सकती है। **इस संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी।**

काउंसिलिंग (दस्तावेज परीक्षण) के समय अभ्यर्थी का 10वीं/12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 10/12 वीं अनुत्तीर्ण या पूरक (कम्पार्टमेंट) के अभ्यर्थी काउंसिलिंग के पात्र नहीं होंगे। तथापि संबंधित बोर्ड के नियमानुसार कृपांक से उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। परंतु कृपांक (ग्रेस) के अंक नहीं जोड़े जाएंगे।

1.8.2 **काउंसिलिंग हेतु निर्धारित फीस** - सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल होने के लिये निर्धारित काउंसिलिंग शुल्क रु.200/- (रुपये दो सौ मात्र) की राशि जमा करना अनिवार्य है। जमा करने का माध्यम की जानकारी कॉउसिलिंग के पूर्व वेबसाईट www.cgdteraipur.ac.in पर दी जायेगी।

1.8.3 ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रक्रिया :

1. ऑनलाईन कॉउंसिलिंग के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी कॉउंसिलिंग के पूर्व वेबसाईट www.cgdteraipur.ac.in पर दी जायेगी।

2. दस्तावेज परीक्षण कराना (Document Verification) :-

संस्था आबंटन से पूर्व आपके दस्तावेजों का परीक्षण होना अनिवार्य है, इसके बिना आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। दस्तावेज परीक्षण का कार्य संचालनालय द्वारा निर्धारित दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों में से किसी भी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में कराया जा सकता है। ध्यान रहे कि यदि आपने विकल्प तो भरा है परंतु दस्तावेजों का

परीक्षण नहीं कराया है तो आपका प्रकरण आबंटन हेतु विचार नहीं किया जायेगा क्योंकि DVC द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म करने के पश्चात् ही आपका विकल्प डाटाबेस में आयेगा (दस्तावेज परीक्षण केन्द्र कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में खुले रहेंगे, केवल दोपहर 1.30 से 2.00 बजे के मध्य भोजनावकाश रहेगा)।

दस्तावेज परीक्षण के समय भी यदि आपको लगता है कि आपने विकल्प गलत भर दिये हैं अथवा उनके क्रम अलग दे दिये हैं तो दस्तावेज परीक्षण कार्य को ऑनलाईन दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा कन्फर्म करने से पूर्व आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। जो अंतिम बदलाव होगा वही मान्य होगा। एक बार दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका आवेदन कन्फर्म कर देने के पश्चात् फिर विकल्प में फेरबदल नहीं हो सकता।

दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों की सूची निम्नानुसार है :-
(सूची में परिवर्तन हो सकता है। जिसकी जानकारी वेबसाइट में दी जायेगी)

स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक	स. क्र.	दस्तावेज परीक्षण केन्द्रों का नाम एवं पता	जिला	दूरभाष क्रमांक
1	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार रायपुर	रायपुर	0771-2421376	12	रामकृष्ण राठौर शासकीय पॉलीटेक्निक, जांजगीर, पेन्ड्री	जांजगीर	07817-222456
2	शासकीय पॉलीटेक्निक, अंबिकापुर, मनेन्दगढ़ नाका, अंबिकापुर	सरगुजा	07774-220609	13	किरोड़ीमल शासकीय पॉलीटेक्निक, रायगढ़, चक्रधर नगर, रायगढ़	रायगढ	07762-222737
3	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, बिलासपुर, कोनी, बिलासपुर	बिलासपुर	07752-260289	14	शासकीय पॉलीटेक्निक, कबीरधाम, पुराना जिला पंचायत भवन, कबीरधाम	कबीरधाम	07741-232636
4	शासकीय पॉलीटेक्निक, भकरूपुर, नारायणपुर	नारायनपुर	07781200078	15	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कोरबा, बालको, उरगा, रिंग रोड, कोरबा	कोरबा	07759-659874
5	शासकीय पॉलीटेक्निक, तखतपुर, मेन रोड, तखतपुर	बिलासपुर	07753-264963	16	शासकीय पॉली., महासमुन्द, बी. टी.आई. रोड, महासमुन्द	महासमुन्द	07723-224818
6	शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर ,धरमपुरा नं- -2, जगदलपुर	बस्तर	07782-229436	17	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक बायरन बाजार, रायपुर,	रायपुर	0771-2423045
7	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, धरमपुरा नं.-2, जगदलपुर	बस्तर	07782-229230	18	मिनीमाता शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक पेन्ड्री, राजनांदगॉव,	राजनांदगॉव	07744-292955
8	भोपाल राव पवार शासकीय पॉलीटेक्निक, धमतरी, रूद्री, धमतरी	धमतरी	07722-237618	19	शासकीय पॉलीटेक्निक, खैरागढ़, मेन रोड, खैरागढ़	राजनांदगॉव	07820-234010
9	उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग, जी.ई. रोड, दुर्ग	दुर्ग	0788-2323548	20	शासकीय पॉलीटेक्निक, गरियाबंद	गरियाबंद	07706241303
10	शासकीय पॉलीटेक्निक रामानुज उच्च. मा.शाला भवन, बैकुन्ठपुर	कोरिया	07836232070	21	शासकीय पॉलीटेक्निक पुराना कोर्ट भवन कांकेर	कांकेर	07868222081
11	शासकीय पॉलीटेक्निक ,शास. एन.ई. एस. पी.जी. कालेज केम्पस, जशपुर	जशपुर	07763220051	22	शासकीय पॉलीटेक्निक वेंकटराव कालेज केंपस, बीजापुर	बीजापुर	07853220015

टीप :- यह हो सकता है कि किसी दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या आ रही हो तो ऐसा होने पर किसी अन्य नजदीकी संस्था में जाकर दस्तावेज परीक्षण कराया जा सकता है। दस्तावेज परीक्षण हेतु समय-सारणी समाचार पत्रों एवं वेबसाइट में यथा समय प्रसारित की जायेगी।

2 (अ) दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सारे आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं आपने उसके एक सेट फोटोकॉपी करा लियें हैं। जो दस्तावेज आपको लेकर दस्तावेज परीक्षण केन्द्र में जाना है वे निम्नानुसार हैं :-

सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज - सभी प्रमाण पत्रों के मूल (Original) एवं 1 सेट फोटोकॉपी लेकर जाना अनिवार्य है परंतु मूल प्रमाण पत्र DVC में जमा नहीं करना है। केवल दिखाना है एवं वापस प्राप्त करना है। सभी प्रमाण पत्र वापस प्राप्त करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की रहेगी।

1. कम्प्यूटर से प्रिंट किया गया एप्लीकेशन कम ऑप्शन फार्म की प्रति
2. 10वीं की अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र
3 10वीं/12वीं की अंकसूची (यदि मूल अंकसूची न हो तो इंटरनेट से निकाला हुआ भी ला सकते हैं)। दस्तावेज परीक्षण के दिन अभ्यर्थी को 10वीं/12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, **पूरक/अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी का दस्तावेज कन्फर्म नहीं किया जायेगा ।**

4 छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण-पत्र 04 प्रारूपों (प्रारूप क्रमांक - 5, 6, 7 या 8) में से किसी एक प्रारूप में (च्वाईस सेंटर से बना निवास प्रमाण पत्र भी मान्य होगा)।

5. 02 पासपोर्ट साइज फोटो।

छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित श्रेणियों के लिये अनिवार्य दस्तावेज -

6. छत्तीसगढ़ राज्य के SC/ST/OBC होने के लिये **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** (अस्थायी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथापि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट के आधार पर आबंटन किया जायेगा)।
7. यदि अभ्यर्थी सैनिक (S) वर्ग में आता है तो सैनिक कल्याण बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रारूप 3(अ),(ब) या (स)।
8. यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) वर्ग में आता है तो निर्धारित प्रारूप-4 में कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
9. यदि अभ्यर्थी निःशक्तता से बाधित (PWD) है तो निःशक्तता से बाधित का प्रमाण पत्र (1) जिला मेडिकल बोर्ड से (2) अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, निःशक्तजन हेतु संचालित व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर का प्रमाण पत्र।
10. यदि आवेदक बी.पी.एल. परिवार मे आता है तो सक्षम अधिकारी से जारी पालक का बी.पी.एल.कार्ड।

यदि आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो डाटाबेस में दस्तावेज परीक्षण केन्द्र द्वारा आपका प्रवर्ग (**category**) SC/ST/OBC को परिवर्तित कर UR कर दी जायेगी एवं आपका आबंटन UR के मेरिट के आधार पर होगा न कि आरक्षित श्रेणी के आधार पर।

1.8.5 गंभीर बीमारीः- यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने के कारण नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है और वे इस आशय का चिकित्सा प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/संबंधित चिकित्सालय के प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करते है, तो उनके पिता/अभिभावक जिन्हें अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर *दस्तावेज परीक्षण हेतु* सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिए विभाग सक्षम होगा।

1.8.6 उन संस्थाओं के लिये जिन संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था है, परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित प्रवर्ग की योग्यताक्रम सूची में स्थान प्राप्त करेंगे उनकी गणना अनारक्षित प्रवर्ग में की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अनारक्षित प्रवर्ग अथवा संबंधित आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत उपलब्ध संस्था/ब्रांच का चयन प्रावीण्यता के आधार पर कर सकेंगे।

1.8.7 (**अ**) किसी भी आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत सैनिक **(S),** स्वतंत्रता संग्राम सेनानी **(FF)** तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग **(PWD)** में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी आरक्षित प्रवर्ग के बिना वर्ग **(Op)** में परिवर्तित कर भरा जाएगा। परंतु अनारक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत सैनिक **(S),** स्वतंत्रता संग्राम सेनानी **(FF)** तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग **(PWD)** के लिये आरक्षित सीट को मेरिट के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के आने वाले सैनिक **(S),** स्वतंत्रता संग्राम सेनानी **(FF)** तथा निःशक्तता से बाधित वर्ग **(PWD)** के अभ्यर्थी को भी आबंटन किया जायेगा।

(**ब**) किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत बिना वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य प्रवर्ग में परिवर्तित कर भरा जाएगा।

अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग **(ST)** के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जाति **(SC)** के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति **(SC)** के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति **(ST)** के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। इन दोनों प्रवर्गों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर इन प्रवर्गों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ा वर्ग **(OBC)** (क्रीमीलेयर को छोड़कर) प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। जब इन तीनों प्रवर्गों के अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान अनारक्षित प्रवर्ग **(UR)** के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। उपरोक्त प्रक्रिया कांउसिलिंग के हर चरण में अपनायी जायेगी।

(स) रिक्त सीटों का परिवर्तन नियमानुसार प्रत्येक चरण में किया जायेगा।

1.8.8 एक बार अभ्यर्थी *काउंसिलिंग* के प्रथम/द्वितीय चरण में किसी पाठ्यक्रम/संस्था में आबंटन प्राप्त कर लेता है और काउंसिलिंग के अगले चरण होते हैं तो अभ्यर्थी उसमें भाग ले सकता है परंतु अगले चरण में रजिस्ट्रेशन करने पर उसकी वर्तमान सीट निरस्त हो जायेगी एवं रिक्त सीट में जुड़ जायेगी। यदि संस्था स्तर की काउंसिलिंग की अनुमति दी जाती है तो इसमें भी पूर्व प्रवेशित छात्र शामिल हो सकता है।

1.8.9 **छात्र द्वारा आबंटन/प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी के नियम** -

1. काउंसिलिंग के दौरान अपना प्रवेश रद्द करवाने पर रू. 500/- की कटौती संबंधित संस्था द्वारा करने के पश्चात् शेष राशि संबंधित संस्था द्वारा वापस की जायेगी।

2. काउंसिलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर प्रवेश तिथि से निरस्त की तिथि तक शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क तथा विकास शुल्क (Tution & Other Fees and Development Fees) की मासिक आनुपातिक राशि की कटौती संस्था द्वारा की जायेगी एवं शेष राशि अभ्यर्थी को संस्था द्वारा वापस की जायेगी। कॉशन मनी पूरी वापस की जायेगी।

कटौती की जाने वाली फीस की गणना निम्न फार्मूला से की जायेगी :

Deductable Fees = No. of admitted months * Total fees/ No. of months in a Semester as declared by University

फीस में शिक्षण शुल्क, विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क सम्मिलित हैं। प्रत्येक माह को 31 दिवस के गुणांक में माना जायेगा। यदि उससे अधिक दिवस होता है तो उसे एक माह के बराबर माना जायेगा।

3. प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराने पर फीस वापसी राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार की जायेगी।

1.8.10 **संस्था स्तर की कांउसिलिंग** :- पॉलीटेक्निक संस्थाओं में केंद्रीय काउंसिलिंग की अंतिम तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित की जावेगी तथा इस तिथि के पश्चात काउंसिलिंग द्वारा प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत रिक्त रह गई सीटों के विरूद्ध तथा संस्थाओं में प्रवेशित छात्रों द्वारा अपना प्रवेश निरस्त करवा लेने से अथवा किन्ही अन्य कारणों से रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रवेश की कार्यवाही संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी से की जावेगी। प्रवेश की यह कार्यवाही संबंधित संस्थाओं द्वारा घोषित एक निश्चित तिथि को संचालनालय से पूर्वानुमति प्राप्त कर काउंसिलिंग द्वारा मेरिट के आधार पर की जावेगी।

1.8.11 **प्रवेश की अंतिम तिथि :** इन पाठ्यक्रमों में सत्र 2016-17 में प्रथम वर्ष में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2016 निर्धारित की जाती है।

1.9 संचालनालय/संस्था द्वारा प्रवेश रद्द करना - यदि यह पाया गया कि कोई अभ्यर्थी किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश संस्था/ संचालनालय द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जा सकेगा प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर तकनीकी शिक्षा संचालक, छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

1.10 अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। छत्तीसगढ़ राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

1.11 **एक तकनीकी संस्था से दूसरी तकनीकी संस्था में स्थानांतरण (पॉलीटेक्निक के लिए)**

प्रथम वर्ष में प्रदेश के एक तकनीकी संस्था से दूसरे तकनीकी संस्था में केवल 04 स्थानांतरण राज्य शासन की अनुमति के पश्चात् विषेश परिस्थिति में (मेडिकल, आर्थिक व अन्य) जिसे शासन द्वारा उचित समझा जाये किये जा सकेंगे। इसके लिए स्थान रिक्त होने की आवश्यकता नहीं रहेगी यह स्थानांतरण प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त Over & Above रहेंगे। स्थानांतरण के अन्य प्रावधान निम्नानुसार रहेगा :-

1 एक शासकीय तकनीकी संस्था से दूसरी शासकीय तकनीकी संस्था अथवा निजी संस्था में स्थानांतरण हो सकेंगे।

2 एक निजी संस्था से अन्य निजी संस्था में स्थानांतरण हो सकेंगे परन्तु शासकीय तकनीकी संस्था में स्थानांतरण का प्रावधान नहीं रहेगा।

3 जिस संस्था से छात्र दूसरे संस्था में स्थानांतरित होता है, वहां इस रिक्त सीट को दोबारा भरा नही जायेगा।

4 स्थानांतरण का आधार (मेडिकल, आर्थिक व अन्य) स्पष्टतया तथा सावधानीपूर्वक वर्णित होना चाहिए।

द्वितीय वर्ष में स्थानांतरण नियमानुसार स्थान रिक्त रहने पर ही किये जा सकेंगे। अंतिम वर्ष में स्थानांरतण का प्रावधान नहीं रहेगा।

1.12 शिक्षण शुल्क –

शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक संस्थाओं एवं शासकीय कन्या पॉलीटेक्निकों में शिक्षण शुल्क

क्रमांक	प्रवर्ग का विवरण	वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से रू	वार्षिक शिक्षण शुल्क
1	अनारक्षित प्रवर्ग	चाहे कोई भी आय हो	रू. 5000/ से 6000/
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के अभ्यर्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय	(अ) 250000/-(रूपये दो लाख पचास हजार) तक है	देय नहीं (आदिमजाति विभाग से नियमानुसार प्रतिपूर्ति होगा)
		(ब) 250000/-(रूपये दो लाख पचास हजार) से अधिक	पूरा शुल्क देय है ।
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय	(अ)100000/- (रूपये एक लाख) तक है	देय नहीं (आदिमजाति विभाग से नियमानुसार प्रतिपूर्ति होगा)
		(ब)100000/- (रूपये एक लाख) से अधिक	पूरा शुल्क देय है ।
4	छात्राओं से शिक्षण शुल्क	सभी प्रवर्ग के छात्राओं को शिक्षण शुल्क देय नहीं है।	

टिप्पणी : वर्ष 2016-17 के लिये शासन द्वारा फीस में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह लागू होगा। उपरोक्त शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क के अतिरिक्त लगभग रू. 1000/- अन्य फीस भी देय है।

1.13 काउंसिलिंग शुल्क/कॉशन मनी- शासकीय संस्थाओं को काउंसिलिंग शुल्क/कॉशन मनी देय नहीं है।

1.14 ट्यूशन फी वेव्हर योजना- Tution Fee Waiver (TFW) Scheme

1.14.1 यह योजना राज्य में स्थित ए.आई.सी.टी.ई./विश्वविद्यालय से अनुमोदित/संबद्धित समस्त पॉलीटेक्निक संस्थानों में लागू होगी।

1.14.2 काउंसिलिंग के समय संस्थाओं के अनुमोदित सीटों के अतिरिक्त पॉच प्रतिशत सांख्येत्तर सीटों को भी सम्मिलित किया जाएगा। शासकीय संस्थाओं में अतिरिक्त प्रवेश न होने पर भी 5 प्रतिशत सीटों पर TFW देय होगा। इस वर्ष ओपन, महिला, निःशक्तता से बाधित आदि कोई श्रेणी निर्धारित नहीं है। मेरिट में जो अभ्यर्थी आए उसे देय होगा। प्रत्येक 30/40 सीट पर 2 सीट TFW देय होगा।

इस हेतु छात्र/छात्रा के पालक/अभिभावक की वित्तीय वर्ष 2015-16 की समस्त श्रोतों से आय रू. 4.50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिये। आय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा करना अनिवार्य है। आय प्रमाण पत्र का निर्धारित प्रारूप-11 नियम पुस्तिका में दिया गया है। आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी तहसीलदार/नायब तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित प्रारूप से किसी अन्य प्रारूप में सक्षम अधिकारी से जारी किया गया ऐसा आय प्रमाण पत्र जिसमें वित्तीय वर्ष एवं समस्त श्रोतों का उल्लेख हो मान्य किया जायेगा।

1.14.3 फी वेव्हर स्वीकृत करने की पूरी प्रक्रिया संस्थाओं द्वारा ही किया जाना है। प्रस्ताव संचालनालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है। जिन छात्रों को TFW स्वीकृति प्राप्त होगी उनके द्वारा प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय जमा की गयी शिक्षण शुल्क की राशि संस्था द्वारा छात्रों को वापस की जायेगी एवं द्वितीय सेमेस्टर से फीस नहीं ली जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् परिपालन (compliance) हेतु छात्रों को वापस किये गये रिफण्ड चेक की छाया प्रति के छात्रों की सूची भेजी जानी है। पूरी प्रक्रिया 31 दिसंबर 2016 तक पूर्ण करना अनिवार्य है।

1.14.4 ट्यूशन फी वेव्हर प्राप्त छात्र को ब्रांच एवं संस्था परिवर्तन की अनुमति नहीं रहेगी। संस्था/ब्रांच परिवर्तन पर फी वेव्हर की पात्रता समाप्त हो जायेगी। इसके स्थान पर पात्रतानुसार नीचे के मेरिट (प्रतिक्षा सूची) से फी वेव्हर स्वीकृत किया जा सकता है।

1.14.5 एक बार स्वीकृत की गयी फी वेव्हर पूरे पाठ्यक्रम के लिये लागू होंगी।

1.14.6 फी वेव्हर जिन अभ्यर्थियों को स्वीकृत की जायेगी वे यदि योग्यता रखते है तो उनकी छात्रवृत्ति की पात्रता भी बनी रहेगी।

1.14.7 फी वेव्हर स्कीम के अंतर्गत केवल शिक्षण शुल्क माफ होगा किंतु संस्था में ली जाने वाले अन्य फीस देय होगी ।

1.14.8 विवाद की स्थिति में संचालक तकनीकी शिक्षा का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

1.15 रैगिंग

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा **"छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिशेध अधिनियम 2001"** जारी किया है। जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम है। इस अधिनियम का मुख्य-मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :-

1.15.1 परिभाषा :-

"रैगिंग" से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उसे क्षति पहुँचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग करना।

1.15.2 रैगिंग का प्रतिशेध :- किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा।

1.15.3 दण्ड :- यदि कोई व्यक्ति रैगिंग के प्रतिशेध के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैगिंग करने के लिये दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से जो पॉच हजार रूपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।

1.15.4 अपराधों का विचारण :- इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

1.15.5 छात्र के निष्कासन के लिये निर्योग्यता :-

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।

किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

1.15.6 :- रैगिंग के संबंध में टोल फ्री नम्बर 1800-233-9188 पर शिकायत की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(वाय.पी.दुपारे)
अवर सचिव
छ.ग. शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय

छात्र हित में अन्य जानकारियाँ -

1. संस्थाओं के संबंध में अत्यावश्यक/आवश्यक जानकारियाँ :-

अभ्यर्थी काउंसिलिंग आरंभ होने से पूर्व ही कालेजों से संबंधित आवश्यक जानकारियां जैसे कि संस्था की जिला मुख्यालय से दूरी, परिवहन की सुविधा, शिक्षक एवं अन्य स्टॉफ की जानकारी, संस्था का भवन एवं प्रायोगिक सुविधाऐं, फीस आदि प्राप्त कर लें, संस्था के संबंध में पर्याप्त जानकारी न होने के आधार पर किसी प्रकार का आक्षेप मंजूर नहीं किया जायेगा। छात्रों एवं अभिभावकों की सुविधा हेतु इस पुस्तिका में डिप्लोमा इंजीनियिरिंग संस्थाओं के नाम, पते, फोन नंबर, वेबसाइट आदि की जानकारी दी जा रही है।

2. **बी.पी.एल. स्कॉलरशिप -** यह योजना सामान्य श्रेणी के बी.पी.एल. कार्डधारी परिवार के बच्चों के लिये है। इस योजना के तहत रु.500/- प्रतिमाह की स्कॉलरशिप दी जाती है। इस हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन संस्था प्राचार्य को किया जाना होता है। इसकी स्वीकृति संचालनालय द्वारा की जाती है। विस्तृत जानकारी संस्था प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है। यह योजना केवल शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है। संस्था में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **30 नवंबर 2016** है।

3. **मेरिट स्कॉलरशिप** - यह योजना समस्त श्रेणी के लिये लागू है। इसके लिये कोई आय का बंधन नहीं है।
यह स्कॉलरशिप 10वीं/12वीं के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर दी जाती है। समस्त संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् कुल 13 छात्रों को यह स्कॉलरशिप आबंटित की जाती है। वर्तमान में इसकी दर रु.600/- प्रतिमाह है। विस्तृत जानकारी संस्था प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है। यह योजना केवल शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है। संस्था में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **30 नवंबर 2016** है।

4. **मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप** - यह योजना समस्त श्रेणी के लिये लागू है। परंतु इसके लिये आय का बंधन है। पालक की आय रु.2,50,000/- प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। यह स्कॉलरशिप 10वीं/12वीं के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर दी जाती है। यह स्कॉलरशिप संस्थावार आबंटित की जाती है। वर्तमान में इसकी दर रु.600/- प्रतिमाह है। विस्तृत जानकारी संस्था प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है। यह योजना केवल शासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि संबंधित संस्था द्वारा निर्धारित की जायेगी।

5. **आरक्षित वर्ग SC/ST/OBC के लिये मैट्रिकोत्तर स्कॉलरशिप एवं शिक्षण शुल्क की वापसी ।**

शासन की नीति के अनुसार SC/ST/OBC के छात्र जो संस्थाओं में प्रवेशित है, उन्हें पालक के आय के अनुसार मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता है। साथ ही साथ आय के अनुसार ही शिक्षण शुल्क वापस पाने की भी पात्रता है। निजी संस्थाओं के लिये फीस की वापसी शासकीय संस्थाओं में निर्धारित फीस से समतुल्य होती है। इसकी विस्तृत जानकारी संस्था से अथवा आदिम जाति कल्याण विभाग, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर, रायपुर से प्राप्त की जा सकती है। यह योजना शासकीय एवं निजी क्षेत्र के संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आदिम जाति विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।

6. **ट्यूशन फी वेव्हर** (TFW) **योजना** - इसकी विस्तृत जानकारी बिन्दु क्रमांक 1.14 में दी जा चुकी है। विस्तृत जानकारी संस्था प्राचार्य से प्राप्त की जा सकती है। यह योजना शासकीय एवं निजी क्षेत्र के संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये है। संस्था में निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **31 दिसंबर 2016** है।

Table-1

राज्य के शासकीय सहशिक्षा पॉलीटेक्निक एवं शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक में प्रवेश क्षमता

स.क्र.	संस्थाओं के नाम	एम.ओ.एम.	सी.डी.डी.एम.	आई.डी.डी.	आर्किटेक्चर	योग
1	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर	40	30	30	30	130
2	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, जगदलपुर	30	30	-	-	60
3	मिनीमाता शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, राजनांदगॉव	30	30	-	-	60
4	उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग	40	-	-	-	40
कुल		**140**	**90**	**30**	**30**	**290**

टिप्पणी :-

1. उपरोक्त सीटों की संख्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली/विश्वविद्यालय की अनुमोदन/संबद्धता के अध्यधीन निश्चित होगी ।

2. संस्थाओं/सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है ।

संक्षेपाक्षरों का विस्तारित नाम

सीडीडीएम (CDDM)	–	कास्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग
आई.डी.डी (IDD)	–	इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइन
एम.ओ.एम. (MOM)	–	माडर्न ऑफिस मेनेजमेंट
अ.भा.त.शि.प. (AICTE)	–	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
DTE	-	तकनीकी शिक्षा संचालनालय
UR	–	अनारक्षित
SC	–	अनुसूचित जाति
ST	–	अनुसूचित जनजाति
OBC	–	अन्य पिछड़ा वर्ग
स.प्रा.	-	सक्षम प्राधिकारी
S	–	सैनिक
FF	–	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
F	–	महिला
PWD	–	निःशक्तता से बाधित
OP	–	महिला पुरूष दोनों के लिए
X	–	बिना वर्ग

***

प्रमाण पत्रों का प्रारूप

प्रारूप - 1
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग ..... जिला ..... छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक .....
प्रमाण पत्र क्रमांक ..... प्रकरण क्रमांक .....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .....पिता/पति का नाम ..... निवासी ग्राम/नगर .....पटवारी हल्का नं. ..... वि.खं. ..... तहसील .....जिला..... संभाग ..... जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति /जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह ..... जाति/जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सूची में अनुक्रमांक..... पर अंकित है अतः श्री/सुश्री..... पिता/पति का नाम ..... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/सुश्री ..... के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये ..... है ।

दिनांक- .....

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम सील

प्रारूप – 2

छत्तीसगढ़ की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग ..... जिला..... छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक ..... प्रकरण क्रमांक .....
प्रमाण-पत्र क्रमांक .....

स्थायी जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... आत्मज श्री ..... निवासी ग्राम/ नगर ..... जिला/संभाग ..... छत्तीसगढ़ के निवासी है जो..... जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में छत्तीसगढ़ (म.प्र.) शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है ।

श्री ..... और/या उनका परिवार सामान्यतः छत्तीसगढ़ के जिला..... संभाग ..... में निवास करता है व छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक ..... को प्रवृजन कर चुका है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/ वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.93 द्वारा जारी सूची में कालम-3 में तथा छत्तीसगढ़ (म.प्र.) शासन, सामान्य प्रशासन के ज्ञापन क्रमांक एफ 7-26/93/1/आ.प्र. दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट-ई की अनुसूची के कालम-(3) में किया गया है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमति/कुमारी ..... के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपये ..... है ।

दिनांक .....

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी का नाम
पदनाम

(सील)

प्रारूप- 3: सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

भाग- (अ)

भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कार्मिक/स्थायी रूप से निःशक्त प्रतिरक्षा कार्मिक

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..... जो माध्यमिक शिक्षा मंडल, छ.ग. की (10+2) प्रणाली की दसवीं/बारहवीं परीक्षा वर्ष.....के आधार पर..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री .....के पिता/माता है,

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक हैं। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे ..... पद पर थे/थी और उनका सर्विस क्रमांक.....था ।

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन सेवा के दौरान के स्थायी रूप से निःशक्त हो गए हैं/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष.....में हो चुकी है ।

स्थान.....
दिनांक.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालय सील)

प्रारूप 3 (ब)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाणपत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री..... (अभ्यर्थी का नाम).....जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की (10+2) प्रणाली की 10 वीं/12 परीक्षा वर्ष ..... के आधार पर .....पाठयक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी हैं के माता /पिता श्री/ सुश्री.....सेवानिवृत भूतपूर्व सैनिक है और स्थायी रूप से .....(स्थान) तहसील.....जिला.....में व्यवस्थापित हो गये हैं ।

स्थान.....
दिनांक.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालय सील)

प्रारूप 3 भाग-(स)

छत्तीसगढ़ में/छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....
जो माध्यमिक शिक्षा मंडल छ.ग. की (10+2) प्रणाली की-दसवीं/बारहवीं परीक्षा वर्ष..... के आधार पर .....
पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी श्री/सुश्री..... के पिता/माता हैं ।

अ. थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के ओहदे पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक हैं और वे छत्तीसगढ़ में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं। वे इस इकाई में दिनांक.....से सेवारत है ।

अथवा

ब. थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....के ओहदे पर सर्विस क्रमांक..... के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कार्मिक हैं और वे छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं ।

स्थान..... हस्ताक्षरः आफिसर कमांडिग.....
.....
दिनांक..... (कार्यालय सील)

प्रारूप-4
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....(अभ्यर्थी का नाम)
पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमति .....(अभ्यर्थी के पिता-माता का नाम)
के/की नैसर्गिक पुत्र/पुत्री है। जो श्री / सुश्री.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम)
का/की नैसर्गिक पुत्र/पुत्री है ।श्री / श्रीमति.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम)
का नाम छत्तीसगढ़ के जिला..... (जिले का नाम) में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में क्रमांक.....पर पंजीकृत हैं

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षरः कलेक्टर
(कार्यालय की स्पष्ट मुहर)

प्रारूप : 5 स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

क्रमांक..... दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .....आत्मज/आत्मज/पत्नी .....

निवासी .....तहसील ..... व जिला .....

छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, क्योंकि वह :-

1. छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है/हुई है।

   अथवा

   (क) वह,

   अथवा

   (ख) उसके पालकों में से कोई एक

   अथवा

   (ग) उसके पालकों में से यदि कोई जीवित न हो, तो उसका वैध अभिभावक गार्जियन छत्तीसगढ़ में पन्द्रह वर्षो से निरंतर रह रहा है ।

   अथवा

2. उसके पालकों में से कोई भी :-

   (क) राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्ति कर्मचारी है।

   अथवा

   (ख) केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत है,

3. (क) वह स्वयं

   अथवा

   (ख) उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षो से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं।

   परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसी एक कंडिका में उल्लिखित शर्त की पूर्ति भी करता है :-

4. उसने अपनी शिक्षा छत्तीसगढ़ राज्य अथवा अविभाजित छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल जिलों में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है, अथवा उसने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षायें उत्तीर्ण की है, अर्थात :-

   (क) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि निर्धारित हो, तो उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या आठवीं कक्षा की परीक्षा।

   (ख) यदि किसी संस्था में प्रवेश के लिये या शासन के अधीन सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, किसी भी विश्वविद्यालय या बोर्ड की इंटरमीडियट, हायर सेकेण्डरी या कोई और समकक्ष परीक्षा निर्धारित की गई हो तो आठवीं कक्षा की परीक्षा।

   (ग) अन्य मामलों में पांचवी कक्षा की परीक्षा।

टीपः- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की संतान एवं पत्नी

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य शासन के अधिकारियो/कर्मचारियों की संतान एवं पत्नी।

(ग) शासन द्वारा वर्तमान में निर्धारित छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की पत्नी।

(घ) छत्तीसगढ़ में संवैधानिक या अन्य विधि पदों पर द्वारा नियुक्त व्यक्तियों संतान तथा उनकी पत्नी। प्रदेश के स्थनीय निवासी माने जायेंगे ।

उपरोक्त मापदण्डों के अनुरूप जो व्यक्ति स्थानीय निवासी माना जायेगा, उसकी पत्नी/पति अथवा संतान भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होंगे ।

टीपः- जो अंश लागू न हो उसे काट दिया जावे।

प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर

.....

पदनाम एवं सील

प्रारूप - 6

छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों व छत्तीसगढ़ के स्थानीय शासनों के कार्मिकों संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री .....जो माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम ..... जो .....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है श्री/श्रीमती..... का /की/पुत्र/पुत्री है ।

क. जो.....विभाग में.....पद पर .....(तिथि) से पदस्थ छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी है ।

ख. जो.....विभाग में .....पद पर पदस्थ छत्तीसगढ़ के कर्मचारी थे और जो .....(तिथि) से इस विभाग से सेवानिवृत हुए ।

स्थान.....
दिनांक.....

कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालयीन सील)

प्रारूप - 7

भारत सरकार अथवा उसके सार्वजनिक उपक्रमों/अर्धशासकीय निकायों के छत्तीसगढ़ में पदस्थ कार्मिकों के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/.....जो माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) ..... वर्ष..... के आधार पर (पाठ्यक्रम) का नाम.....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी है श्री/श्रीमति.....का/की/पुत्र/पुत्री है, जो दिनांक 1 जनवरी 2007 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से छत्तीसगढ़ में स्थित.....विभाग में पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी है ।

स्थान.....
दिनांक.....

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
नाम एवं पद.....
(कार्यालयीन सील)

प्रारूप - 8 छत्तीसगढ़ में पुनर्वास स्थापन संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक ..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री.....

जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित परीक्षा का नाम.....वर्ष..... के आधार पर पाठ्यक्रम का नाम.....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी है। श्री/सुश्री .....का/की/संतान है, जो.....योजना के तहत छत्तीसगढ़ में व्यवस्थापित है। यह योजना भारत शासन/छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना है ।

स्थान .....

दिनांक ..... हस्ताक्षर

कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

प्रारूप-9 : जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थी संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/.....के पुत्र/पुत्री श्री/कुमारी.....जो माध्यमिक शिक्षा मंडल छ.ग. की (10+2) प्रणाली की दसवीं/बारहवीं परीक्षा में छत्तीसगढ़ का/की अभ्यर्थी हैं, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित हैं ।

श्री.....(पिता का नाम) एवं उनका परिवार वर्तमान में छत्तीगसढ़ के..... (शहर एवं जिले का नाम) में दिनांक.....से निवास कर रहा है

हस्ताक्षर.....

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
(कार्यालीन सील)

प्रारूप 10 : अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी/..... आत्मज/आत्मजा/श्री.....जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की (10+2) प्रणाली की दसवीं/बारहवीं परीक्षा वर्ष..... के आधार पर.....(पाठ्यक्रम का नाम) में जम्मू कश्मीर राज्य के विस्थापित अभ्यर्थी की सीटों के विरूद्ध प्रवेश का अभ्यर्थी है ।

श्री.....(अभ्यर्थी का नाम) के पिता/माता श्री/श्रीमति..... प्रदेश/केन्द्रीय सेवा के अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवारी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांक.....से दिनांक.....तक (स्थान का नाम) में रही है ।

विभागाध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर
पद एवं विभाग का नाम

प्रारूप-11

(नियम 2.14.3)

न्यायालय तहसीलदार, तहसील..... जिला ..... (छत्तीसगढ़)

/ आय प्रमाण-पत्र /

राजस्व प्रकरण क्रं..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... पिता श्री ..... निवासी .....तहसील ..... जिला ..... (छ.ग.) का **31 मार्च 2014** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रू.....शब्दों में .....रूपये है ।

यह आय प्रमाण पत्र आवेदक के पुत्र/पुत्री/पत्नि..... के लिए जारी किया जाता है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी,
पदनाम एवं सील

नोट :

1.यह प्रमाण-पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा शिक्षण शुल्क में माफी मुख्यतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर की जाती है। अतः प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम अधिकारी यथोचित सावधानी पूर्वक यह प्रमाण-पत्र जारी करें।

2.सक्षम अधिकारी अन्य प्रारूप में जिसमें वित्तीय वर्ष एवं समस्त श्रोतों का उल्लेख हो में भी आय प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं ।

Important Informations of Polytechnics

S.no.	Institute Name	Code	Stb.Yr.	Phone	Fax	E-mail	Website	Contact No.
1	Govt. Girls Polytechnic, Jagdalpur, Dharampura No. -2, Jagdalpur	DE102	1991	07782229230	229364	ggpoly@gmail,com	www.ggpolyjdp.ac.in	9425261184
2	Govt. Girls Polytechnic, Raipur, Byron Bazar, Raipur	DE103	1987	07712423045	2423045	ggpraipur@yahoo.com	www.ggpraipur.ac.in	9406320245, 9826100000
3	Minimata Govt. Girls Polytechnic, Rajnandgaon, pendri, Rajnandgaon	DE104	1998	07744292955	229564	gpgrjn@gmail.com	www.gprjn.in	9827981575
4	Uday Prasad Uday Govt. Polytechnic, Durg, G.E. Road, Durg	DE108	1962	07882323548	2252211	polydurg@rediffmail.com	www.polydurg.com	9630817471